वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग—4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, बिलासपुर द्वारा बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत 18.245 हे. एवं मरवाही वन मंडल अंतर्गत 10.566 हे.; कुल 28.811 हे. संरक्षित एवं राजस्व वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 45 केंवची—केन्दा—मझवानी—रतनपुर मार्ग निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

वन मंडलवार वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	वन मंडल	संरक्षित वन (हे.)	राजस्व वन (हे.)	योग
1	बिलासपुर	12.366	5.879	18.245
2	मरवाही	9.402	1.164	10.566
	योग	**21.768**	**7.043**	**28.811**

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के अभिमत से सहमत होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 45 केंवची—केन्दा—मझवानी—रतनपुर निर्माण के लिए 28.811 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 08/02/2023
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

8/2/2023
(संजय शुक्ला)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

Form -4 (Vivdh) 2023 (1)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स,अटल नगर/ रायपुर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840
ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–893/ 295 रायपुर, दिनांक 08/02/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः – **बिलासपुर जिले के मरवाही एवं बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Chief Engineer PWD NH Raipur, Chhattisgarh द्वारा Rehabilitation & Upgrading to 2/4 laning with paved shoulder Under corridor Scheme on EPC Basis of Keonch to Ratanpur Section on NH-45(Ex.) in the State of Chhattisgarh हेतु क्षेत्रफल 28.811 व्यपवर्तन प्रस्ताव बाबत्।**
Registration No.- FP/CG/ROAD/126719/2021

संदर्भः – मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक / 369 दिनांक 31.01.2023

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा निर्धारित भाग–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है :–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 1 से 3) – आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, बिलासपुर द्वारा बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत 18.245 हे., मरवाही वन मंडल अंतर्गत 10.566 हे. कुल 28.811 हे. संरक्षित एवं राजस्व वन भूमि केंवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर मार्ग निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित भाग–1 में प्रस्तुत किया है।

वन मंडलवार वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	वन मंडल	संरक्षित वन (हे.)	राजस्व वन (हे.)	योग
1	बिलासपुर	12.366	5.879	18.245
2	मरवाही	9.402	1.164	10.566
	योग	**21.768**	**7.043**	**28.811**

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 04 से25) – वन मंडलाधिकारी बिलासपुर द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/CG/ROAD/126719/2021 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है, पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 29,000 रूपये जमा कराया गया है जिसकी पुष्टि कार्यालयीन पत्र दिनांक 12.08.2021 से हो जाती है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 26 से 39) – बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत 18.245 हे. मरवाही वन मंडल अंतर्गत 10.566 हे. वन भूमि केंवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर रोड निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के

अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 28.811 हे. संरक्षित एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 44 से 78) – केंवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर रोड निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर निर्माण हेतु वन मंडलवार निम्नानुसार गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है:–

क्र.	वन मंडल	गैर वन भूमि का विवरण (हे. में)
1	बिलासपुर	39.694
2	मरवाही	47.061
	योग	**86.755**

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 79 से 87) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 88 से 91) – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 92 से 102) – प्रपत्र – 4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत 18.245 हे. मरवाही वन मंडल अंतर्गत 10.566 हे. वन भूमि केवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर रोड निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 28.811हे. मार्ग निर्माण के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत 513.07 करोड़ बतायी गई है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 103 से 110) – बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत 18.245 हे. मरवाही वन मंडल अंतर्गत 10.566 हे. वन भूमि केवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर रोड निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 28.811हे. वन भूमि के लिए प्रस्ताव का विस्तृत टीप संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 111 से 112) – यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 113 से 114) – प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 115 से 124) – भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 22.08.2013 की प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 125 से 183) – आवेदित क्षेत्र में विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या वन मंडलवार निम्नानुसार है:–

क्र.	वन मंडल का नाम	साईट क्वालिटी	विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या
1	बिलासपुर	IVA	1948
2	मरवाही	IVA	2679
	योग		**4627**

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 184 से 193) – परियोजना का बिलासपुर एवं मरवाही वन मंडल का पृथक – पृथक कास्ट बेनीफिट एनालिसिस संलग्न है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 194 से 196) – प्रस्तावित परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि / निजी भूमि प्रभावित नहीं होने से आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 197 से 246) – प्रस्तावित परियोजना हेतु गैर वन क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 247 से 275 तक) – आवेदित वन भूमि बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत 18.245 हे. मरवाही वन मंडल अंतर्गत 10.566 हे. वन भूमि केवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर रोड निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 28.811हे. के एवज में दुगुने बिगड़े वन भूमि मरवाही वन मंडल के पण्डरी कक्ष क्रमांक 2047 अंतर्गत 61.414 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित है। 10 वर्षीय सिंचित परियोजना प्रतिवेदन 8,78,787/– प्रति हे. की दर से तैयार किया गया है। वनखण्डवार, कक्षवार एवं रकबावार जानकारी प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 276 से 282) – वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन मंडलाधिकारी, बिलासपुर एवं मरवाही वन मंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 283 से 284) – वन मंडलाधिकारी बिलाससपुर एवं मरवाही वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 285 से 286) – बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 287 से 288) – बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 289 से 290) – आवेदित वन भूमि बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत 18.245 हे. मरवाही वन मंडल अंतर्गत 10.566 हे. वन भूमि केवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर रोड निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 28.811हे. के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये 61.414 हे. प्रस्तावित है किया गया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण परियोजना भारत सरकार का होने एवं नियम 2022 लागू होने के पूर्व का प्रकरण होने के कारण दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है अतएव मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 291 से 292) – प्रस्तावित परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित होने के कारण आवश्यक नहीं। वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 293 से 294) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। वन मंडलाधिकारी बिलासपुर एवं मरवाही वन मंडल एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 295 से 296) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। वन मंडलाधिकारी बिलासपुर एवं मरवाही वन मंडल एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 297 से 298) – प्रस्ताव में किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 299 से 322) – प्रपत्र–3 पर वन मंडलाधिकारी, बिलासपुर वन मंडल द्वारा दिनांक 07.02.2022 को, मरवाही वन मंडल द्वारा दिनांक 19.02.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी बिलासपुर एवं मरवाही के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा दिनांक 27.12.2022 को प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 323 से 329) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी बिलासपुर, मरवाही वन मंडल तथा यूजर एजेंसी का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 330 से 354) – संबंधित ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 355 से 356) – जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है:–

क्र.	जिले का नाम	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)
1	बिलासपुर	78336.000
2	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	230739.000
	योग	**309075.000**

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 357 से 358) – जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि का जिलेवार रकबा निम्नानुसार है:–

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि का रकबा (रकबा हे. में)
1	बिलासपुर	723.378
2	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	865.417
	योग	**1588.795**

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 359 से 360) – जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल व्यपवर्तित वन भूमि का जिलेवार रकबा निम्नानुसार है:–

क्र.	जिले का नाम	कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा (रकबा हे. में)
1	बिलासपुर	50.439
2	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	369.285
	योग	**419.724**

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 361 से 362) – बिलासपुर वन मंडल एवं मरवाही अंतर्गत प्रस्तावित 10 कि.मी. के परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, बिलासपुर एवं मरवाही वन मंडल का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 363 से 364) – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 365 से 370) – वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण का कलेक्टर बिलासपुर एवं गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही का अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त है जिसे प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करते समय उपलब्ध करा दी जायेगी। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 371 से 376) – प्रस्ताव में आवेदित राजस्व वन भूमि का संबंधित कलेक्टर बिलासपुर का दिनांक 13.01.2023, एवं गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही का दिनांक 28.02.2022 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 377 से 378) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 379 से 380) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 381 से 382) – प्रस्तावित परियोजना में मिट्टी की गुणवता पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। वन मंडलाधिकारी बिलासपुर, मरवाही एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 383 से 384 – वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है तदाशय का वन मंडलाधिकारी बिलासपुर, मरवाही एवं आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 385 से 386) – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 387 से 394) – बिन्दु क्रमांक –2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 395 से 396) – परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग का एकलरेखीय परियोजना है। अतः उक्त प्रस्तावित वन क्षेत्र में वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 397 से 398) – प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का संबंधित वन मंडलाधिकारियों का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 399 से 421) – तीन वैकल्पिक रूट एवं उसके औचित्य को दर्शाते हुए मानचित्र संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेबसाईट में **www.parivesh.nic.in** पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा अनुशंसा गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त,

बिलासपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, अनुशंसा निर्धारित भाग–3 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– 1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में

2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट 2 प्रतियों में

3. टाईम लाईन

4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग–4

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.सं (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–893/ 296

रायपुर, दिनांक 08/02/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वनमंडलाधिकारी**, बिलासपुर (नोडल) / मरवाही वन मंडल, छत्तीसगढ़।
3. **कार्यपालन अभियंता**, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.सं (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़